1.	**योजना का नाम (हिन्दी में)**	**राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009**
	(इंग्लिश में)	**RAJIV GANDHI KRISHAK SAATHI SAHAYTA YOJANA-2009**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	योजना में राज्य के कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय गांव से मण्डी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर कृषि विपणन निदेशालय द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता **राशि** प्रदान की जाती है।
3.	योजना प्रारम्भ होने की तिथि	दिनांक 30.08.1994 **से प्रारम्भ** एवं संशोधित योजना 09.12.2009 तथा वर्ष 2013–14 से पुनः संशोधित
4.	लाभान्वित वर्ग	किसान एवं खेतीहर मजदूर, मण्डी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार/हमाल
5.	पात्रता	कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर सहायता राशि प्रदान की जाती है।
6.	योजना का लाभ जिन परिस्थितियों में देय होगा।	1 कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य में कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए (जिनमें खेती से सम्बन्धित सिंचाई कार्य भी शामिल हैं) 2 सिंचाई कार्य हेतु कुआं खोदते समय, ट्यूबैल स्थापित करते समय एवं ट्यूबवैल संचालित करते समय बिजली का करंट लगने **से** एवं खेत में गुजरने वाली विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त **होने से** मृत्यु या अंग भंग होने पर। 3 कृषकों द्वारा खेतों में फसलों, फल सब्जियों पर रासायनिक दवाईयों आदि का छिडकाव करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर। 4 मुख्य मण्डी यार्ड, उप मण्डी यार्ड **एवं** राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित क्रय केन्द्रों पर कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर। 5 मण्डी में बोरियों की धांग लगाते समय **मृत्यु** या अंग भंग होने पर। 6 मण्डी प्रांगण में ट्रेक्टर ट्रोली, ऊंट लड्डा, बैलगाडी, भैंसा गाडी आदि उलट जाने पर दुर्घटना में काश्तकार की मृत्यु या अंग भंग होने पर। 7 मण्डी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार/हमाल/मजदूर की मंडी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में **फैक्चर होने, या** अंग भंग **होने या** मृत्यु होने